

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

दिनांक

प्रार्थीगण :-

1.गोगाराम 2.वालाराम पि.कालूराम 3.खीयाराम पुत्र
अमराराम 4.मीरो पत्नि अमराराम 5.नंदराम
6.रूगनाथराम 7.पुरखाराम पि.वागाराम 8.दमाराम
9.नानगाराम 10.डायाराम 11.अचलाराम पि.हेमाराम,
जाति जाट, निवासी पदमाणी,नेहरों की नाडी,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. मेहराराम पुत्र उदाराम 2.जेठाराम पुत्र चिमाराम
3.ठाकराराम पुत्र कानाराम 4.ताजाराम पुत्र मोडाराम
5.भीयाराम पुत्र पूनमाराम 6.कुम्भाराम पुत्र रामाराम
7.आसूराम पुत्र जीमणाराम 8.उम्मेदाराम पुत्र
मगाराम, जाति जाट, निवासी पदमाणी, नेहरों की
नाडी, 9.हनुमानराम 10.धीराराम पि.मेशाराम
11.देदाराम पुत्र जयरूपाराम 12.हीराराम पुत्र
नानगाराम, जाति जाट, निवासी हरपुनियोंवाला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 61/2019

दिनांक : 15.07.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नेहरों की नाडी के मौजा हरपुनियोंवाला के खेत खसरा सं. 550/450 रकबा 112.09 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1558 to 1561

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गोगाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण मेहराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दिनांक 15/07/2022



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन